निकाह का मतलब और महर का हक

हजरत मौलाना जुल्फीकार नक्शबंदी दब.

नोट: आप से दरखास्त है की इसे
भाषा या ग्राम्मर का अदब ना समझे.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

1. निकाह का मतलब

निकाह आधा ईमान है: एक कुवारा आदमी चाहे कितना ही नेक क्यो ना हो जाये वो ईमान के कामिल रूतबे को नही पोहाच सकता जब तक वो शादी शुदा ज़िन्दगी मे दाखिल होकर ज़ीम्मेदारियो और हुकूक को अदा ना करे, तब तक उसका ईमान कामिल नही होता, इसलिये जिस लडके या लडकी की शादी ना हो और वो जवान उम्र हो तो हदीस मे उसको मिस्किन कहा गया है. गोया ये लोग रहम के काबिल है की उम्र के इस हिस्से मे ये शादी शुदा ज़िन्दगी गुजारने से मेहरूम है.

निकाह की अहमियत: ये सौ फिसद पक्की बात है की जहा निकाह नही होगा वहा ज़ीना होगा इसलिये शरियत ने निकाह की अहमियत को वाज़ेह किया है.

आज जिस समाज़ मे लोग निकाह से भागते है यानी निकाह करने से बचते है, आप देखिये की वहा सैक्स

की ज़रूरत के लिये अडडे खुले होते है.

शरियत शरीफा ने इस बात को नापसन्द किया है की इन्सान गुनाहो भारी ज़िन्दगी गुज़ारे.

इसलिये कहा गया की तुम निकाह करो ताकी तुम्हे अपने आप को पाकबाज़ रखना आसान हो जाये. अगर निकाह का हुक्म ना दिया जाता तो मर्द औरत को सिर्फ एक खिलौना समझ लेता, औरत अपने लिये कोई मुकाम ना रखती, उसकी ज़ीम्मेदारी उठाने वाला कोई ना होता.

शरियत ने कहा की अगर तुम चाहते हो की इकट्ठे रहो तो तुम्हे उसकी ज़ीम्मेदारियो का बोझ भी उठाना पडेगा.

2. महर का हक और उसकी एहमियत

निकाह एक एग्रीमेंट है जो मियां बीवी मे तय पाता है, इस एग्रीमेंट मे अगर कोई औरत अपनी तरफ से शर्त रखनी चाहे तो शरिअत ने इस्की गुन्जाइश दी है, मिसाल के तौर पर वो कहे की मुझे अच्छे माकन की ज़रूरत है, मुझे महीने के इतने खर्चे की ज़रूरत, वो कहे की मे निकाह तब करूंगी अगर तलाक का हक मुझे दिया जाये, शरिअत ने इस्की इजाजत दी है की वो निकाह से पहले अपनी शर्ते मनवा सकती है लेकिन जब निकाह हो गया और तलाक का हक मर्द

के पास है या मर्द अपनी मरज़ी से खर्चा देगा तो अल्लाह की बन्दी अब रोने से क्या फायदा.

शरीअत ने निकाह को एक एग्रीमेंट कहा है, जबकी हमे उसकी एहमियत का पता नही होता, आजकल लडकी वाले अपनी सादगी मे मारे जाते है, महर के हक के लिखने का वकत आया तो किसी ने कहा ५००० रूपया किसी ने कहा ५०० काफी है, अल्लाह के बन्दो ५०००, ५०० रूपये काफी नही क्यु की ये बच्ची की ज़िन्दगी का मामला है, इसे एब ना समझो अगर तुम समझते हो कोई बात निकाह से पहले तय कर लेना बेहतर है तो शरीअत ने तुम्हे उसकी इज़ाज़त दी है, लडके वालो की तो यही चाहत होती है की लडकी वाले महर का हक ना ही लिख-वाये तो बेहतर है, क्यु? इसलिये की ज़ीम्मेदारी जो होती है.

महर के हक के बारे मे तीन सुन्नते है:

१. महरे फातमी: यानी हजरत फातिमा (रदी) का हक्के महर या फिर हजरत आयेशा (रदी) को जो हक्के महर नबीﷺ ने अदा फरमाया था, उसको बांध लिया जाये तो यह भी सुन्नत है, मुफ्ती अब्दुर रहीम लाजपुरी (रह) लिखते है पसंदीदा और एहतियात ये है कि महर-ए-फातिमी की गिनती १५० टोला या १७४९,९ ग्राम चांदी पर अदायगी की जाये, (फतावा रहिमिया ८/२३१,२३२) महरे फतीमी चांदी के भाव

के एतेबार से उपर नीचे होता है, इस वकत आज का जो भाव है यानी ता: ३० मार्च २०१९, तकरीबन ६०,००० के करीब महरे फतीमी बनती है रूपियो मे.

२. महर मिसल: लडकी के करीबी रिश्तेदारो मे आमतौर पर लडकियो का जो महर रखा जाता है, उसको कहा जाता उन्के बराबर उसको महर बांधना ये भी सुन्नत है, मसलन इससे पहले जिस लडके की शादी हुवी तो उसको हमने ८०००/- दिया था, और इससे पहले जो शादी हुवी मसलन चाची का महर इतना था, फूफी का इतना था, ये महरे मिसल है अगर ये भी कोई देता है तो ये भी सुन्नत है.

3. लडकी की दानीश्बन्दी यानी उसकी जहानत, नेकी, परहेज़गारी और उसकी शराफत सलाहियत को सामने रखते हुवे उस्का महर बांधा जाये, ये भी सुन्नत है, इसमे महर देने वालो को इख्तियार है के लडकी की शराफत, परहेज़गारी और सलाहियत को सामने रखकर वो अपने एतेबर से जितना देना चाहे १००००, २००००, ५००००, १लाख जो भी चाहे देदे वो उस्के उपर है.

ये तीन किस्म के महर जो हुजूरﷺ से सुन्नत है, निकाह करने वालो को जिस पर सहुलत हो वो अदा करना चाहिये और सुन्नत की अदायगी का खास खयाल रखना चाहिये, और शरीअत ने ये तीन तरीके

बताये है इनमे से किसी एक को पसन्द कर ले, उसे सुन्नत का सवाब मिलेगा, इन्शा अल्लाह.

महर का हक मुकर्रर करना

निकाह के वकत महर का हक मुकर्रर करते हुवे कहते है की **महर मुअज्ज़िल** होगा या **मोअज्ज़ल** होगा,

मुअज्ज़िल का मतलब है जल्दी अदा करना मियां बीवी के मिलन होने से पहले महर मुअज्ज़िल अदा करना ज़रूरी है, शोहर अदा नही करेगा तो गुनाहगार होगा.

महर की दूसरी किस्म मोअज्ज़ल है इस्का मतलब है जब बीवी उसको तलब करे वो खाविन्द से ले सकती है, खाविन्द की शान के मुनासिब नही की वो महर माफ करवाने के लिये बीवी पर दबाव डाले, हा अगर बीवी महर की रकम वापस लोटा दे तो कुरान के हिसाब से इस रकम मे बरकत होती है.

हवाला: उर्दु किताब "खुत्बाते फकीरी/१"
से इस्का लिप्यांतरण किया गया हे.